न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 68/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गोपीकिशन पुत्र बदरी जाति माली निवासी नया दरवाजा तहसील व जिला नागौर।		1सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर। 2हल्का पटवारी नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांक:24.06.2019

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 268/2013 सरकार बनाम गोपीकिशन में निर्णय दिनांक 18.03.13 के तहत मौजा नागौर के खसरा नं. 324 रकबा 1.15 बीघा गै.मु. पाल भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.07.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 26.07.17 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण संख्या 268/2013 सरकार बनाम गोपीकिशन में पारित निर्णय दिनांक 18.03.13 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील एकपक्षीय रूप से बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये पारित किया है। जिसकी जानकारी अपीलांट को वक्त निर्णय नही हो सकी। हल्का पटवारी के माध्यम से अपीलांट को दिनांक 16.07.17 को जानकारी हुई। तब अपीलांट ने दूसरे दिन ही तहसील में नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 18.07.17 को प्राप्त होने पर अपीलांट को प्रथम बार निर्णय जैर अपील की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को निर्णय जैर अपील की जानकारी नही थी। न्याय हित में अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील पूर्णतया अवैध विधिविरूद्व एवं बिना विधि विरूद्व ढंग से पारित गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को जवाब पेश करने हेतु समुचित अवसर दिये बगैर एवं जवाब का अवसर बंद किये बगैर आदेश जैर अपील पारित कर दिया। आदेश जैर अपील नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त वर्षो पुराना चला आ रहा है। किसी प्रकार का नया अतिक्रमण नही किया हुआ है। लेकिन इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच किये आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने केवल हल्का पटवारी की टीपी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जबकि उक्त प्रकरण में आदेश पारित होने से पूर्व हल्का पटवारी के तथा आरआई हल्का के बयान लिये जाने चाहिये थे। साथ ही अपीलांट को भी साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधि प्रक्रिया अपनाये आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा नागौर में स्थित पाल भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नागौर के खसरा नंबर 324 रकबा 1.15 बीघा पाल भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. पाल है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दि. 02.08.04 की अनुपालना में अंगौर भूमि पर पूर्व किए गए आवंटन/नियमन को निरस्त करवाए जाने हेतु रेफरेंस तैयार कर सम्बन्धित न्यायालयों में पेश भी किये जा रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत ऐसी भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना निषेधित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर